एस०टी०डी०/आई०एस०डी० के टेलीफोन बिलों के संबंध में सरकार द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें

3642. **श्री राम देव भंडारी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्ष 1993-94 में अब तक संसद सदस्यों से ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं कि उनके द्वारा अपने टेलीफोनों के माध्यम से एस.टी.डी./आई.एस.डी. कॉल न करने के बावजूद उन्हें भारी राशि के बिल प्राप्त हुए हैं,

(ख) सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच के क्या परिणाम रहे,

(ग) क्या सरकारी जांच पूरी होने तक सरकार विवादास्पद राशि के भुगतान पर रोक लगायेगी,

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरभाष केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस तरह की गडबड़ियां की जा रही है,

(ङ) क्या ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी,

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उन शिकायतों के मामलों में जिनमें स्थानीय कॉलों (एस टी डी/आई एस डी कॉलों सहित) के द्विमासिक बिल स्थानीय कॉल प्रभारों के पिछले छः द्विमासिक बिलों की अधिकतम राशि से अधिक हो जाते हैं, विवादास्पद बिल की कुछ राशि को रोक रखने संबंध अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं। इन मामलों में, पिछली छः द्विमासिक अवधियों की स्थानीय कॉलों के बिलों की औसत राशि तथा उसके 10 प्रतिशत तक के स्थानीय कॉल प्रभारों के लिए एक खण्डित बिल जारी किया जाता है। मूल बिल की शेष राशि के भुगतान के लिए तब तक नहीं कहा जाता जब तक कि जांच पड़ताल पूरी न हो गई हो और शिकायत का अंतिम रूप से निपटान न किया गया हो।

(घ) से (च) कर्मचारियों द्वारा लाइनों को विघटित करने के उद्देश्य से टेलीफोन लाइनों तथा उपस्करों का गलत ढंग से इस्तेमाल करने के मामले जानकारी में आए हैं। इस कदाचार को रोकने के उद्देश्य से सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र के दौरान लोक सभा में एक बिल (1993 की बिल संख्या 80) प्रस्तुत कर रही है ताकि तार प्राधिकारी कदाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाने वालों के लिए सख्त दण्ड निर्धारित करके इन मामलों से प्रभावशाली ढंग से निपट सके।

बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का विस्तार

3643. **श्री राम देव भंडारी**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का विस्तार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इनका विस्तार करने की योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) जी, हां।

(ख) डाल्टनगंज और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्र तथा औरंगाबाद, गोड्डा, लोहारडागा और हजारीबाग में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर जिन्हें चालू किए जाने के लिए तकनीकी दृष्टि से तैयार कर लिया गया है, के अतिरिक्त गुमला, नवादा, रक्सौल और सुपौल में एक-एक अर्थात कुल मिलाकर चार और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनके अलावा, सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन, अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के तहत जमशेदपुर और गया में दो उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की भी परिकल्पना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Maintenance and Operation of Telecom Service by Government Departments

3644. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Telecommunications propose to allow Government Departments to install, maintain and operate their telecom, requirements; and

(b) if so, what are the details thereof and modalities of the working of the proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Department of Telecommunication is already providing leased lines and other telecom, facilities to the Government Departments for meeting their telecom, requirements.

Separation of Tariff and Telephone Service

3645. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to separate the task of tariff fixation from the task of running telephone service in view of it being a monopoly;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Sir, Amendment of Indian Telegraph Act is under consideration to have Telecom Regulating Authority & Telecom Operating Authority.

(b) It is under examination.

(c) The question does not arise in view of (a) & (b) above.

उत्तर प्रदेश की डाक सलाहकार समिति

3646. श्री ईश दत्त यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश डाक सलाहकार समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने-कितने सदस्य हैं; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान डाक सलाहकार समिति को भंग करने और राज्य के सभी भागों को समान प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।